

परिशिष्ट 1.1
(संदर्भ: कडिका 1.1)
राज्य की रूपरेखा
अ-सामान्य आंकड़े

| क्र. स. | विवरण | आंकड़े (छत्तीसगढ़) | |
|---------|---|-------------------------------|-------|
| 1 | क्षेत्रफल (वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार) | 1,35,192 वर्ग कि.मी. | |
| 2 | जनसंख्या (राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या अनुमान 2011-2036 के अनुसार) | 3.02 करोड़ | |
| 3 | जनसंख्या का घनत्व (अखिल भारतीय घनत्व = 422 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.) | 223 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी. | |
| 4 | गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत) | 39.93 प्रतिशत | |
| 5 | साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73.00 प्रतिशत) | 70.30 प्रतिशत | |
| 6 | शिशु मृत्यु दर (एसआरएस बुलेटिन 2020 के अनुसार) (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 28 प्रति 1000 जीवित जन्म) | 38 प्रति 1000 जीवित बच्चे | |
| 7 | जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष 2016-2020 में अखिल भारतीय औसत = 70.00) | 65.10 | |
| 8 | जनसंख्या वृद्धि (2013-2023) | संपूर्ण भारत | 11.68 |
| | | छत्तीसगढ़ | 14.51 |
| 9 | वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2022-23 | ₹4,57,608 करोड़ | |

(नोट: सामान्य डेटा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एस.एफ.ए.आर. संकलन पर आधारित है)

ब-वित्तीय आंकड़े

| विवरण | | वर्ष 2013-14 से 2021-22 | | वर्ष 2021-22 से 2022-23 | |
|------------|---|-------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| | | सामान्य श्रेणी राज्य | छत्तीसगढ़ | सामान्य श्रेणी राज्य | छत्तीसगढ़ |
| सी.ए.जी.आर | | (प्रतिशत में) | | | |
| क | राजस्व प्राप्तियों का | 11.02 | 12.05 | 13.41 | 17.86 |
| ख | कर राजस्व का | 10.50 | 12.16 | 15.18 | 17.66 |
| ग | करेत्तर राजस्व का | 8.15 | 13.30 | 12.94 | 10.09 |
| घ | कुल व्यय का | 11.32 | 10.45 | 12.53 | 14.97 |
| ङ | पूँजीगत व्यय का | 11.08 | 10.95 | 14.18 | 26.81 |
| च | शिक्षा, खेलकूद कला एवं संस्कृति पर राजस्व व्यय का | 9.21 | 10.86 | 13.52 | 13.48 |
| छ | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर राजस्व व्यय का | 15.83 | 20.20 | 0.88 | (-)5.29 |
| ज | मजदूरी एवं वेतन का | 9.63 | 12.72 | 8.52 | 9.56 |
| झ | पेंशन का | 12.28 | 13.30 | 11.38 | 2.53 |

(नोट: वित्तीय आंकड़े राज्य शासन के वित्त लेखों पर आधारित हैं और सामान्य श्रेणी के राज्यों का वित्तीय डेटा आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रदान किए गए एस.एफ.ए.आर. संकलन से प्राप्त किया गया है।)

परिशिष्ट 2.1
(संदर्भ: कंडिका 2.4.1)
राज्य शासन के वित्त पर समयबद्ध आंकड़े

(₹ करोड़ में)

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| भाग क-प्राप्तियाँ | | | | | |
| 1. राजस्व प्राप्तियाँ | 65,095(82) | 63,869(76) | 63,176(74) | 79,652(84) | 93,877(90) |
| (i) स्वयं के कर राजस्व | 21,427(33) | 22,118(35) | 22,889(36) | 27,083(34) | 33,122(35) |
| विक्रय, व्यापार आदि पर कर | 4,088(19) | 3,931(18) | 4,236(19) | 5,341(20) | 6,450(19) |
| राज्य उत्पाद शुल्क | 4,489(21) | 4,952(22) | 4,636(20) | 5,107(19) | 6,783(21) |
| वाहन कर | 1,205(06) | 1,275(06) | 1,148(05) | 1,373(05) | 1,757(05) |
| स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क | 1,108(05) | 1,635(07) | 1,585(07) | 1,945(07) | 2,229(07) |
| भू-राजस्व | 488(02) | 552(02) | 938(02) | 950(04) | 869(03) |
| माल एवं यान्त्री कर | 54(0) | 41(0) | 80(0) | 48(0) | 60(0) |
| राज्य वस्तु एवं सेवा कर | 8,203(38) | 7,895(36) | 7,925(35) | 9,483(35) | 11,298(34) |
| अन्य कर | 1,792(08) | 1,838(09) | 2,341(10) | 2,836(10) | 3,677(11) |
| (ii) करेत्तर राजस्व | 7,703(12) | 7,934(12) | 7,137(11) | 13,851(17) | 15,248(16) |
| (iii) केन्द्रीय कर एवं शुल्क में राज्यांश | 23,459(36) | 20,206(32) | 20,338(32) | 28,571(36) | 32,358(35) |
| (iv) भारत सरकार से सहायता अनुदान | 12,506(19) | 13,611(21) | 12,812(20) | 10,146(13) | 13,148(14) |
| 2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ | 05 | 04 | 05 | 05 | 06 |
| 3. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली | 162 | 257 | 105 | 88 | 118 |
| 3 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3) | 65,262 | 64,130 | 63,286 | 79,745 | 94,001 |
| 5. लोक ऋण प्राप्तियाँ | 14,370(18) | 19,588(23) | 21,581(25) | 15,098(16) | 10,639(10) |
| आंतरिक ऋण ¹ (अर्थात्पाय अग्रिम और ओवरड्राफ्ट को छोड़कर) | 13,817 | 19,308 | 17,961 | 9,322 | 6,939 |
| भारत सरकार से लिया गया ऋण एवं अग्रिम | 553 | 279 | 3,620 | 5,776 | 3,700 |
| 6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियाँ (4+5) | 79,634 | 83,718 | 84,867 | 94,843 | 1,04,640 |
| 7. आकस्मिकता निधि की प्राप्तियाँ | 00 | 05 | 00 | 00 | 00 |
| 8. लोक लेखे प्राप्तियाँ | 76,903 | 89,910 | 81,446 | 87,016 | 98,368 |
| 9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8) | 1,56,537 | 1,73,633 | 1,66,313 | 1,81,859 | 2,03,008 |
| भाग ख: व्यय/भुगतान | | | | | |
| 10. राजस्व व्यय | 64,411(88) | 73,477(89) | 70,033(89) | 75,010(88) | 85,285(86) |
| सामान्य सेवायें (ब्याज भुगतान सहित) | 15,280(24) | 19,095(26) | 19,586(28) | 21,375(28) | 22,825(27) |
| समाजिक सेवायें | 23,455(37) | 26,653(36) | 25,066(35) | 27,964(37) | 31,818(37) |
| आर्थिक सेवायें | 24,781(39) | 26,609(36) | 24,255(35) | 24,558(33) | 29,499(35) |
| सहायता अनुदान एवं अंशदान | 895(01) | 1,120(2) | 1,125(02) | 1,113(01) | 1,143(01) |

¹ विशेष आहरण सुविधा के सहित

| | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 |
|--|------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 11. पूँजीगत व्यय | 8,903(12) | 8,566(10) | 9,024(11) | 10,504(12) | 13,320(14) |
| सामान्य सेवायें | 255(03) | 194(02) | 509(06) | 352(03) | 754(06) |
| समाजिक सेवायें | 1,774(20) | 1,912(22) | 2,935(33) | 3,234(31) | 4,989(37) |
| आर्थिक सेवायें | 6,874(77) | 6,460(76) | 5,581(62) | 6,919(66) | 7,577(57) |
| 12. ऋण एवं अग्रिम का वितरण | 240 | 56 | 51 | 324 | 86 |
| 12 (अ) अन्तर्राज्यीय परिशोधन | 0.25 | 0.05 | 0.01 | (-)0.25 | (-)0.10 |
| 13. योग (10+11+12+12(अ)) | 73,554 | 82,100 | 79,108 | 85,838 | 98,691 |
| 14. लोक ऋण का पुर्नभुगतान | 1,146 | 8,696 | 8,020 | 8,845 | 9,600 |
| आंतरिक ऋण | 953(83) | 8,480(98) | 7,805(97) | 8,626(98) | 9,370(98) |
| भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम | 193(17) | 216(02) | 215(03) | 220(02) | 230(02) |
| 15. आकस्मिकता निधि में विनियोजन | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 16. समेकित निधि से कुल संवितरण (13+14+15) | 74,700 | 99,419 | 87,128 | 94,683 | 1,08,292 |
| 17. आकस्मिकता निधि से भुगतान | 05 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 18. लोक लेखे से भुगतान | 76,357 | 83,719 | 81,120 | 86,716 | 96,599 |
| 19. राज्य द्वारा कुल किया गया संवितरण (16+17+18) | 1,51,062 | 1,74,515 | 1,68,248 | 1,81,399 | 2,04,891 |
| भाग ग: घाटे | | | | | |
| 20. राजस्व कमी (-)/आधिक्य (+) (1-10) | (+)684 | (-)9,609 | (-)6,857 | (+)4,642 | (+)8,592 |
| 21. वित्तीय कमी (-)/आधिक्य (+) (4-13) | (-)8,292 | (-)17,970 | (-)15,822 | (-)6,093 | (-)4,691 |
| 22. प्राथमिक कमी (-)/प्राथमिक आधिक्य (+) (21+23) | (-)4,640 | (-)12,999 | (-)10,189 | (+)51 | (+)1,691 |
| भाग घ: अन्य आंकड़े | | | | | |
| 23. ब्याज भुगतान | 3,652 | 4,971 | 5,633 | 6,144 | 6,382 |
| 24. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| अर्थोपाय अग्रिम का उपयोग (दिवस) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| ओव्हर ड्राफ्ट का उपयोग (दिवस) | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 25. अर्थोपाय अग्रिम/ओव्हर ड्राफ्ट पर ब्याज | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 26. सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 3,27,107 | 3,44,648 | 3,47,752 | 4,06,416 | 4,57,608 |
| 27. वर्षान्त पर देयतायें | 66,750 | 78,712 | 92,666² | 99,173³ | 1,01,696⁴ |
| 28. वर्षान्त पर लंबित प्रतिभूतियां (गारंटियां) | 10,769 | 18,459 | 19,836 | 19,500 | 20,958 |
| 29. वर्षान्त पर अधिकतम गारंटियां राशि | 19,574 | 27,995 | 26,695 | 29,948 | 30,023 |

² बैंक टू बैंक ऋण (₹3,109 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹89,557 करोड़ होगी

³ बैंक टू बैंक ऋण (₹8,074 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹91,099 करोड़ होगी

⁴ बैंक टू बैंक ऋण (₹8,074 करोड़) को छोड़कर, बकाया ऋण की राशि ₹93,622 करोड़ होगी

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कडिका 3.3.1)

वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत महिला-केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | मूल बजट | अनुपूरक | कुल बजट | व्यय |
|------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 0761-कन्या शिक्षा परिसर | 5.33 | 0.00 | 5.33 | 5.01 |
| 2 | 1206- ग्रामीण महिलाओं के लिए भ्रमण एवं प्रदर्शनी | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 1.39 |
| 3 | 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण | 46.97 | 0.00 | 46.97 | 32.81 |
| 4 | 3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.73 |
| 5 | 4663-स्पनिंग मिल हेतु अनुदान | 0.17 | 0.00 | 0.17 | 0.17 |
| 6 | 4691-कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना | 5.80 | 0.00 | 5.80 | 4.02 |
| 7 | 5534-स्वास्थ्य मितानिन योजना | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.40 |
| 8 | 5551-हाई-स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क साईकिल प्रदाय | 94.44 | 0.00 | 94.44 | 64.64 |
| 9 | 5563-क्षेत्रीय महिला प्रशिक्षण संस्थान | 2.58 | 0.00 | 2.58 | 2.20 |
| 10 | 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 17.01 |
| 11 | 6388-नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र | 20.97 | 0.00 | 20.97 | 13.48 |
| 12 | 7330-मितानिन कल्याण निधि | 111.00 | 25.00 | 136.00 | 136.00 |
| 13 | 7336-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन | 74.16 | 0.00 | 74.16 | 73.23 |
| 14 | 7361-सबला योजना | 5.79 | 20.00 | 25.79 | 24.28 |
| 15 | 7435-पोषण | 38.25 | 0.00 | 38.25 | 36.88 |
| 16 | 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 450.00 | 60.59 | 510.59 | 243.02 |
| 17 | 7588-मनरेगा के तहत मातृत्व भत्ता | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 18 | 7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 5.57 |
| 19 | 7747-महतारी जतन योजना | 33.83 | 0.00 | 33.83 | 12.26 |
| 20 | 7875-सुचिता योजना | 11.00 | 0.00 | 11.00 | 10.39 |
| 21 | 7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना | 55.91 | 8.40 | 64.31 | 33.34 |
| 22 | 8977-असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.29 |
| 23 | 8989-ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 14.90 |
| 24 | 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण योजना | 730.61 | 0.00 | 730.61 | 556.28 |
| 25 | 9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 |
| 26 | 9369-महिला जागृति शिविर | 4.85 | 1.00 | 5.85 | 7.14 |
| योग | | 1,755.86 | 114.99 | 1,870.85 | 1,298.44 |

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.3.2)

वर्ष 2022-23 के दौरान योजनाओं का विवरण जो 100 प्रतिशत युवा केन्द्रित है

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | मूल बजट | अनुपूरक | कुल बजट | व्यय |
|---------|---|---------|---------|----------|--------|
| 1 | 0436-विशेष कोचिंग क्लासेज | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.04 |
| 2 | 1079-खिलाड़ियों को प्रशिक्षण | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 0.70 |
| 3 | 1190-ग्रामीण खेल-कूद प्रतियोगिता | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 2.45 |
| 4 | 1853-ड्राईंग सामग्री का प्रदाय | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 0.59 |
| 5 | 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण | 46.97 | 0.00 | 46.97 | 32.81 |
| 6 | 3459-महिला खेल-कूद प्रतियोगिता | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.73 |
| 7 | 4699-अनुसूचित जाति के छात्रों को पुस्तकों आदि की आपूर्ति | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.04 |
| 8 | 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 1.71 |
| 9 | 5260-नस्ल सुधार के लिए बैल का वितरण | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.75 |
| 10 | 5428-राज्यस्तरीय खेल पुरस्कार | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 11 | 5429-युवा कल्याण गतिविधि | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.72 |
| 12 | 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना | 19.00 | 0.00 | 19.00 | 17.01 |
| 13 | 5671-बी.पी.एल. बुक बैंक योजना | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 14 | 5672-बी.पी.एल. छात्रवृत्ति योजना | 6.15 | 0.00 | 6.15 | 6.11 |
| 15 | 6047-स्थानीय निकायों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0.14 |
| 16 | 6386-मेडिकल डेंटल फिजियोथेरेपी कॉलेज | 740.33 | 317.24 | 1,057.57 | 929.91 |
| 17 | 6388- नर्सों का प्रशिक्षण केंद्र | 20.97 | 0.00 | 20.97 | 13.48 |
| 18 | 6407- राज्य युवा महोत्सव | 5.00 | 3.00 | 8.00 | 5.80 |
| 19 | 6408-राज्य युवा मितान क्लब | 75.00 | 0.00 | 75.00 | 19.35 |
| 20 | 6409-मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.02 |
| 21 | 6425-मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना | 2.01 | 0.00 | 2.01 | 0.00 |
| 22 | 6435-विशेष उच्च शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री सहायता | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 23 | 6436-मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी प्रोत्साहन एवं विकास योजना | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 24 | 6913-कुभकार टेराकोटा क्राफ्ट योजना | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.50 |
| 25 | 7296-खेल अकादमी | 4.24 | 0.00 | 4.24 | 1.50 |
| 26 | 7361-सबाला योजना | 5.79 | 20.00 | 25.79 | 24.28 |
| 27 | 7363-युवा कैरियर विकास योजना | 11.64 | 0.00 | 11.64 | 7.44 |
| 28 | 7366-सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना | 0.28 | 0.00 | 0.28 | 0.01 |
| 29 | 7430-शिल्पी हेतु डिजाईन एवं विकास शिक्षा | 0.55 | 0.00 | 0.55 | 0.42 |
| 30 | 7435-असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल | 38.25 | 0.00 | 38.25 | 36.88 |
| 31 | 7490- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन | 450.00 | 60.59 | 510.59 | 243.02 |
| 32 | 7627-व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाएं | 9.80 | 0.00 | 9.80 | 5.57 |
| 33 | 7632-युवा क्षमता विकास योजना | 4.60 | 0.00 | 4.60 | 0.03 |
| 34 | 7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना | 85.25 | 0.00 | 85.25 | 0.00 |
| 35 | 7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना | 7.19 | 0.00 | 7.19 | 4.94 |
| 36 | 7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना | 22.14 | 0.00 | 22.14 | 0.00 |
| 37 | 7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | 55.91 | 8.40 | 64.31 | 33.34 |
| 38 | 7914-कौशल स्वरोजगार योजना | 0.75 | 0.00 | 0.75 | 0.00 |
| 39 | 8076-राज्य के बाहर औद्योगिक और तकनीकी संस्थान | 0.07 | 0.00 | 0.07 | 0.03 |
| 40 | 8638-राज्य प्रायोजित सूक्ष्म सिंचाई योजना | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 3.62 |

| | | | | | |
|------------|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 41 | 8643-मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.93 |
| 42 | 8899-पशु धन मित्र योजना | 3.30 | 0.00 | 3.30 | 3.26 |
| 43 | 8918-विवेकानन्द युवा प्रोत्साहन योजना | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| 44 | 8928-मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना | 3.01 | 0.00 | 3.01 | 2.34 |
| 45 | 8935-लाइवलीहुड कॉलेज परियोजना | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 5.01 |
| 46 | 8977-छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार सफाई कल्याण मंडल | 8.00 | 0.00 | 8.00 | 2.29 |
| 47 | 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना (पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति) | 125.00 | 85.08 | 210.08 | 124.74 |
| 48 | 8989-छत्तीसगढ़ ठेका मजदूर, घरेलु कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 14.90 |
| 49 | 9369-महिला जागृति शिविर | 4.85 | 1.00 | 5.85 | 7.14 |
| 50 | 9381-बुक बैंक | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.03 |
| 51 | 9805-आदिवासी छात्रों को पुस्तक/स्टेशनरी का मुफ्त प्रदाय | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.84 |
| योग | | 1,818.42 | 495.31 | 2,313.73 | 1,568.91 |

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.3.6)

मुख्य नीतिगत पहल/नई योजनाओं का विवरण (प्रत्येक मामले में एक करोड़ या अधिक) जहाँ संपूर्ण अनुदान का उपयोग नहीं हुआ

| क्र.सं. | योजना का नाम | मूल बजट | अनुपूरक | कुल बजट | व्यय |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 6616-जनपाट पंचायतों को सामान्य प्रयोजन के लिए अनुदान | 6.13 | 0.00 | 6.13 | 0.00 |
| 2 | 6627-छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 3 | 6641-वन स्टॉप सेंटर (सखी) | 0.00 | 12.60 | 12.60 | 0.00 |
| 4 | 6642-बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
| 5 | 6681-छत्तीसगढ़ राज्य जी.आई.एस. | 0.00 | 16.90 | 16.90 | 0.00 |
| 6 | 6686-एकीकृत डिजिटल अनुप्रयोग योजनाएं (उदय एस.डी.जी.) | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
| योग | | 8.13 | 34.80 | 42.93 | 0.00 |

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: कडिका 3.5.2)

मामलों का विवरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (₹50 लाख या उससे अधिक) अनावश्यक साबित हुए

(₹ करोड़ में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | मूल बजट | अनुपूरक | वास्तविक व्यय | प्रावधानों से बचत |
|---------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | |
| 02 | सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय | 349.53 | 11.25 | 268.93 | -80.60 |
| 03 | पुलिस | 5,430.57 | 2.56 | 4,703.43 | -727.14 |
| 04 | गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 80.39 | 17.37 | 46.74 | -33.65 |
| 07 | वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | 291.71 | 3.00 | 245.48 | -46.23 |
| 08 | भू-राजस्व और जिला प्रशासन | 1,269.02 | 137.92 | 1,051.51 | -217.50 |
| 11 | वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 254.65 | 13.00 | 186.08 | -68.58 |
| 19 | लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण | 2,776.67 | 339.93 | 2,638.62 | -138.05 |
| 24 | लोक निर्माण-सड़कें और पुल | 938.26 | 260.27 | 660.96 | -277.29 |
| 27 | स्कूल शिक्षा | 5,598.17 | 2.70 | 5,167.71 | -430.46 |
| 28 | राज्य विधानमंडल | 68.44 | 4.50 | 52.77 | -15.67 |
| 29 | न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 447.58 | 9.53 | 399.27 | -48.31 |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग | 2,875.80 | 539.81 | 2,521.37 | -354.43 |
| 36 | परिवहन | 92.75 | 9.81 | 65.75 | -27.00 |
| 43 | खेल और युवा कल्याण | 68.71 | 13.45 | 44.54 | -24.17 |
| 44 | उच्च शिक्षा | 834.76 | 15.00 | 773.40 | -61.36 |
| 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति योजना विभाग | 363.78 | 14.00 | 249.29 | -114.49 |
| 55 | महिला एवं कल्याण विभाग | 1,121.18 | 24.35 | 756.13 | -365.05 |
| 56 | ग्रामीण उद्योग | 114.86 | 2.13 | 98.49 | -16.37 |
| 66 | पिछड़े वर्गों का कल्याण | 235.55 | 151.04 | 50.83 | -184.73 |
| 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 1,018.65 | 36.00 | 820.77 | -197.88 |
| 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 1,869.47 | 3.00 | 1,764.03 | -105.44 |
| योग-राजस्व दत्तमत | | 26,100.50 | 1,610.62 | 22,566.09 | -3,534.41 |
| पूँजीगत (दत्तमत) | | | | | |
| 03 | पुलिस | 235.21 | 0.50 | 216.95 | -18.27 |
| 11 | वाणिज्य और उद्योग विभाग से संबंधित व्यय | 91.29 | 25.00 | 46.99 | -44.30 |
| 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय | 314.68 | 3.00 | 215.42 | -99.26 |
| 24 | लोक निर्माण-सड़कें और पुल | 1,667.51 | 100.00 | 1,379.43 | -288.08 |
| 29 | न्याय और चुनाव प्रशासन | 12.38 | 3.57 | 3.80 | -8.58 |
| 36 | परिवहन | 12.34 | 6.03 | 7.23 | -5.11 |
| 37 | पर्यटन-व्यवसाय | 74.76 | 9.00 | 72.01 | -2.75 |
| 55 | महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित व्यय | 15.16 | 5.29 | 9.37 | -5.79 |
| 67 | लोक निर्माण - भवन | 800.32 | 3.96 | 454.27 | -346.05 |
| 71 | सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी | 69.40 | 86.68 | 54.40 | -15.00 |
| योग-पूँजीगत दत्तमत | | 3,293.04 | 243.02 | 2,2459.85 | -833.19 |
| कुल योग | | 29,393.54 | 1,853.65 | 25,025.94 | -4,367.60 |

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: कडिका 3.5.4)

उप-शीर्ष की सूची जहाँ कुल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं हुआ (₹10 करोड़ और अधिक)

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | योजना का नाम | मूल बजट | अनुपूरक | कुल बजट |
|---------|---|---------|---------|---------|
| 1 | CH2-2049-01-101-0-2199- न्यू मार्केट लोन | 275.00 | 0.00 | 275.00 |
| 2 | 20-4215-01-102-701-6383- जल जीवन मिशन योजना | 234.63 | 0.00 | 234.63 |
| 3 | 19-2210-06-200-801-6613- 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान | 227.00 | 0.00 | 227.00 |
| 4 | 81-6215-01-101-101-7845- नगरीय निकायों की जल संवर्धन योजना | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 5 | 41-4215-01-102-702-6383- जल जीवन मिशन योजना | 181.50 | 0.00 | 181.50 |
| 6 | 41-2210-06-200-802-6613-15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान | 172.52 | 0.00 | 172.52 |
| 7 | 08-2029-00-797-0-6753- पर्यावरण निधि का हस्तांतरण | 122.75 | 0.00 | 122.75 |
| 8 | 08-2029-00-797-0-6754- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफर | 122.75 | 0.00 | 122.75 |
| 9 | 41-4225-02-102-802-5024- आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग | 110.00 | 0.00 | 110.00 |
| 10 | 13-2401-00-800-1201-6353- चिराग योजना | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 11 | 02-4070-00-800-101-6452- मुख्यमंत्री अवसंरचना रखरखाव और उन्नयन प्राधिकरण | 80.00 | 0.00 | 80.00 |
| 12 | 42-5054-04-101-702-7842- आरआरपी चरण - II | 72.00 | 0.00 | 72.00 |
| 13 | 41-2401-00-800-1202-6353- चिराग योजना | 70.00 | 0.00 | 70.00 |
| 14 | 71-5275-00-101-101-7892- भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन | 0.00 | 65.00 | 65.00 |
| 15 | बि-6003-00-110-0-637- तरीके और साधन अग्रिम | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 16 | 66-2202-02-109-704-8050- छात्रवृत्ति | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 17 | 67-4216-01-106-701-6222- न्याय प्रशासन (स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण) | 57.02 | 0.00 | 57.02 |
| 18 | 64-2210-06-200-803-6613- 15वें वित्त आयोग के तहत अनुदान | 54.48 | 4.00 | 54.48 |
| 19 | 41-2235-02-102-702-5354- एकीकृत सेवा योजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के तहत) | 52.85 | 0.00 | 52.85 |
| 20 | 58-2245-80-103-0-4849- राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता कोष से आपदा राहत कोष में स्थानांतरण | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 21 | 75-4700-09-800-311-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड) | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 22 | 12-4810-00-101-311-6415- सांस्कर कुसुम योजना | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 23 | 81-2217-05-191-0-7675- 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत अनुदान प्राप्त हुआ | 48.80 | 0.00 | 48.80 |
| 24 | 42-5054-04-101-705-7842- आरआरपी चरण - II | 48.00 | 0.00 | 48.00 |
| 25 | 55-2235-02-102-701-5354- एकीकृत सेवा योजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के तहत) | 47.65 | 0.00 | 47.65 |
| 26 | 39-2408-01-102-101-7894- सहकारी भंडारों को आर्थिक सहायता | 42.50 | 0.00 | 42.50 |
| 27 | 47-2230-03-3-101-7683- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना | 40.40 | 0.00 | 40.40 |
| 28 | बि-6003-00-110-0-779- कमी को पूरा करने के लिए अग्रिम | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 29 | 08-5054-05-337-510-6477- पर्यावरण उपकर निधि | 40.00 | 0.00 | 40.00 |
| 30 | 67-4216-01-106-704-6222- न्याय प्रशासन (स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण) | 38.02 | 0.00 | 38.02 |
| 31 | 41-4810-00-101-312-6415- सांस्कर कुसुम योजना | 38.00 | 0.00 | 38.00 |

| | | | | |
|----|---|-------|-------|-------|
| 32 | 19-2210-03-110-701-6611- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन | 37.84 | 0.00 | 37.84 |
| 33 | 58-2245-80-800-0-6457- राज्य डिसेटर रिन्यूअल फंड से व्यय | 36.00 | 0.00 | 36.00 |
| 34 | 10-2406-01-203-0-5641- वन प्रबंधन समिति | 35.94 | 0.00 | 35.94 |
| 35 | 23-4700-80-800-701-6354- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-II | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| 36 | 13-2401-00-108-701-7832- लक्षित उदय फेलो क्षेत्र | 33.99 | 0.00 | 33.99 |
| 37 | 41-2230-03-101-102-7683- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना | 33.85 | 0.00 | 33.85 |
| 38 | 41-2408-01-102-102-7894- सहकारी भंडारों को आर्थिक सहायता | 32.30 | 0.00 | 32.30 |
| 39 | 41-2406-01-105-802-5231- लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 40 | 64-2401-00-800-1203-6353- चिराग योजना | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 41 | 42-5054-05-337-102-6596- सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल निर्माण कार्यों के लिए सहायता | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 42 | 58-2245-01-101-0-7710- फसल के विनाश के लिए सहायता | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 43 | 13-2401-00-108-701-8942- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) | 30.00 | 0.00 | 30.00 |
| 44 | 41-2210-03-110-702-6611- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन | 28.75 | 0.00 | 28.75 |
| 45 | 11-2852-80-102-701-6455- प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि उद्योग योजना | 28.40 | 0.00 | 28.40 |
| 46 | 66-2202-02-109-801-8050- छात्रवृत्ति | 26.00 | 0.00 | 26.00 |
| 47 | 24-5054-03-337-101-4557- स्ट्रेगथेनिंग (सतह हार्डिंग) | 25.77 | 0.00 | 25.77 |
| 48 | 19-2210-03-110-704-6611- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन | 25.22 | 0.00 | 25.22 |
| 49 | 12-4801-02-190-101-7498- ट्रांसमिशनध्वत्पादनध्वितरण कंपनी पर पूंजीगत व्यय | 25.00 | 0.00 | 25.00 |
| 50 | 41-2401-00-108-702-8942- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) | 22.80 | 0.00 | 22.80 |
| 51 | 13-2401-00-108-704-7832- लक्षित उदय फेलो क्षेत्र | 22.66 | 0.00 | 22.66 |
| 52 | 39-6408-02-190-311-8545- नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण | 22.50 | 0.00 | 22.50 |
| 53 | 27-2202-02-109-101-8659- अशासकीय शालाहरूमा ट्यूशन शुल्क की प्रतिपूर्ति | 22.00 | 0.00 | 22.00 |
| 54 | 71-3275-00-800-1201-7919- छत्तीसगढ़ पब्लिक फाइनैस मैनेजमेंट प्रोजेक्ट | 20.50 | 0.00 | 20.50 |
| 55 | ब्लॉक ऋण | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 56 | 21-6217-01-193-101-5371- नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 57 | 64-4225-01-102-703-7699- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 58 | 13-2401-00-108-704-8942- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
| 59 | 41-2401-00-108-702-7832- लक्षित उदय फेलो क्षेत्र | 19.41 | 0.00 | 19.41 |
| 60 | 41-2210-03-110-705-6611- प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन | 19.17 | 0.00 | 19.17 |
| 61 | 41-4801-02-190-102-7498- ट्रांसमिशन उत्पादन वितरण कंपनी पर पूंजीगत व्यय | 19.00 | 0.00 | 19.00 |
| 62 | 11-2852-80-102-704-6455- प्रधानमंत्री सूक्ष्म कृषि उद्योग योजना | 18.94 | 0.00 | 18.94 |
| 63 | 64-2235-02-102-703-5354- एकीकृत सेवा योजना (बाह्य सहायता प्राप्त परियोजना के तहत) | 18.60 | 0.00 | 18.60 |
| 64 | 41-6408-02-190-312-8545- नाबार्ड सहायता गोदाम निर्माण | 17.10 | 0.00 | 17.10 |
| 65 | 71-5275-00-101-101-6681- छत्तीसगढ़ राज्य जी.आई.एस. परियोजना | 0.00 | 16.90 | 16.90 |

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| | | | | |
|------------|--|-----------------|-------------|-----------------|
| 66 | 81-2217-05-192-0-7675- 14वें वित्त आयोग की संस्तुति के तहत अनुदान प्राप्त हुआ | 16.80 | 0.00 | 16.80 |
| 67 | 41-6215-01-101-102-2182- नई शहरी जल आपूर्ति योजनाएं | 16.00 | 0.01 | 16.00 |
| 68 | 41-4415-01-277-102-9182- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय | 15.93 | 0.00 | 15.93 |
| 69 | 41-2401-00-108-705-8942- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति) | 15.20 | 0.00 | 15.20 |
| 70 | 30-5054-04-101-101-4871- पी.एम.जी.एस.वाई सड़कों पर पुलों का निर्माण | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 71 | 41-5054-04-101-102-4871- पी.एम.जी.एस.वाई सड़कों पर पुलों का निर्माण | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 72 | 44-4202-01-203-311-5086- कॉलेज भवनों का निर्माण | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 73 | 23-4700-80-800-704-6354- बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना चरण-II | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 74 | 64-2202-02-109-703-6614- छात्रवृत्ति | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 75 | 71-5275-00-101-704-7892- भारत नेट परियोजना का कार्यान्वयन | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 76 | 69-2217-80-191-701-8996- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन | 14.82 | 0.00 | 14.82 |
| 77 | 81-2217-05-193-0-7675- 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के तहत अनुदान प्राप्त हुआ | 14.40 | 0.00 | 14.40 |
| 78 | 41-4406-01-105-702-6373- लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान | 13.76 | 0.00 | 13.76 |
| 79 | 41-2401-00-108-705-7832- लक्षित उदय फेलो क्षेत्र | 12.94 | 0.00 | 12.94 |
| 80 | 41-2406-01-105-702-6373- लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान | 12.50 | 0.00 | 12.50 |
| 81 | 64-4202-01-202-1203-1400- विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना | 12.38 | 0.00 | 12.38 |
| 82 | 64-4810-00-101-313-6415- सायं कुसुम योजना | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 83 | 19-2210-01-110-701-6612- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन | 11.86 | 0.00 | 11.86 |
| 84 | 29-4059-01-51-101-2450- न्याय प्रशासन | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 85 | 64-2230-03-3-103-7683- मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
| 86 | 41-4202-04-800-802-3728- जनजातीय संस्कृति का प्रचार, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विकास | 10.35 | 0.00 | 10.35 |
| 87 | 64-2408-01-102-103-7894- सहकारी भंडारों को आर्थिक सहायता | 10.20 | 0.00 | 10.20 |
| 88 | 42-5054-03-101-102-4557- सुदृढीकरण (सतह हार्डनिंग) | 10.10 | 0.00 | 10.10 |
| 89 | 64-5054-04-337-313-6590- नाबार्ड सहायता प्राप्त अनुदान के तहत ग्रामीण सड़क का निर्माण | 10.04 | 0.00 | 10.04 |
| 90 | 58-2245-02-122-0-989- क्षतिग्रस्त सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण कार्यों की पुनरु स्थापना और मरम्मत | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 91 | 58-2245-02-106-0-1467- जिला और अन्य सड़कें | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 92 | 54-4415-03-277-101-7403- कामधेनु पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| योग | | 5,023.44 | 4.01 | 5,027.45 |

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: कडिका 3.5.5)

वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹100 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | मूल बजट | अनुपूरक बजट | कुल बजट | वास्तविक व्यय | बचत (-) | समर्पण | समर्पण रहित बचत |
|------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | | | |
| 03 | पुलिस | 5,430.57 | 2.56 | 5,433.13 | 4,703.43 | -729.70 | -664.26 | -65.44 |
| 08 | भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन | 1,269.02 | 137.92 | 1,406.94 | 1,051.51 | -355.42 | -326.33 | -29.09 |
| 10 | वन | 1,798.35 | 516.96 | 2,315.31 | 2,058.30 | -257.01 | -258.80 | 1.79 |
| 13 | कृषि | 5,272.71 | 550.23 | 5,822.94 | 5,380.94 | -442.00 | -442.07 | 0.07 |
| 14 | पशुपालन विभाग से संबंधित व्यय | 464.02 | 0.10 | 464.12 | 359.65 | -104.47 | -106.89 | 2.41 |
| 19 | लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2,776.67 | 339.93 | 3,116.60 | 2,638.62 | -477.98 | -548.03 | 70.05 |
| 23 | जल संसाधन विभाग | 603.39 | 0.00 | 603.39 | 471.77 | -131.62 | -131.74 | 0.11 |
| 24 | लोक निर्माण कार्य-सड़क एवं पुल | 938.26 | 260.27 | 1,198.53 | 660.96 | -537.56 | -531.76 | -5.81 |
| 27 | स्कूल शिक्षा | 5,598.17 | 2.70 | 5,600.87 | 5,167.71 | -433.16 | -351.07 | -82.09 |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय | 2,875.80 | 539.81 | 3,415.61 | 2,521.37 | -894.24 | -894.30 | 0.06 |
| 33 | जनजातीय कल्याण | 5,219.11 | 305.13 | 5,524.25 | 5,283.66 | -240.59 | -238.95 | -1.64 |
| 39 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 2,524.39 | 650.00 | 3,174.39 | 2,927.88 | -246.51 | -246.35 | -0.16 |
| 41 | आदिवासी क्षेत्र उप योजना | 16,126.14 | 2,399.32 | 18,525.46 | 16,197.17 | -2,328.29 | -2,477.66 | 149.37 |
| 47 | तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग | 363.78 | 14.00 | 377.78 | 249.29 | -128.49 | -128.77 | 0.28 |
| 55 | महिला एवं बाल कल्याण | 1,121.18 | 24.35 | 1,145.54 | 756.13 | -389.41 | -407.42 | 18.02 |
| 58 | प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय | 1,110.55 | 0.00 | 1,110.55 | 594.93 | -515.61 | -767.33 | 251.72 |
| 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 5,287.40 | 864.07 | 6,151.47 | 5,415.85 | -735.62 | -724.85 | -10.77 |
| 66 | पिछड़े वर्गों का कल्याण | 235.55 | 151.04 | 386.59 | 50.83 | -335.76 | -335.76 | 0.00 |
| 67 | लोक निर्माण-भवन | 703.19 | 0.00 | 703.19 | 580.19 | -123.00 | -84.95 | -38.05 |
| 69 | नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण | 868.97 | 582.70 | 1,451.67 | 1,299.73 | -151.93 | -151.93 | 0.00 |
| 79 | चिकित्सा शिक्षा विभाग | 1,018.65 | 36.00 | 1,054.65 | 820.77 | -233.88 | -218.32 | -15.56 |
| 80 | त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 3,039.99 | 0.00 | 3,039.99 | 2,760.74 | -279.25 | -279.23 | -0.03 |
| 81 | नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 1,869.47 | 3.00 | 1,872.47 | 1,764.03 | -108.44 | -108.46 | 0.01 |
| योग | | 66,515.31 | 7,380.10 | 73,895.42 | 63,715.46 | -10,179.96 | -10,425.21 | 245.25 |
| राजस्व (भारित) | | | | | | | | |
| CH2 | ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग | 7,002.70 | 0.00 | 7,002.70 | 6,320.06 | -682.63 | -682.63 | 0.00 |
| योग | | 7,002.70 | 0.00 | 7,002.70 | 6,320.06 | -682.63 | -682.63 | 0.00 |

| पूँजीगत (दत्तमत) | | | | | | | | |
|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 08 | भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन | 234.76 | 0.00 | 234.76 | 95.43 | -139.33 | -137.18 | -2.15 |
| 21 | आवास एवं पर्यावरण विभाग | 314.68 | 3.00 | 317.68 | 215.42 | -102.26 | -102.26 | 0.00 |
| 23 | जल संसाधन | 579.21 | 0.00 | 579.21 | 274.15 | -305.05 | -305.13 | 0.07 |
| 24 | लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल | 1,667.51 | 100.00 | 1,767.51 | 1,379.43 | -388.08 | -397.49 | 9.41 |
| 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना | 3,106.75 | 919.74 | 4,026.49 | 3,256.69 | -769.80 | -764.84 | -4.96 |
| 42 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 1,238.16 | 0.00 | 1,238.16 | 676.55 | -561.61 | -568.33 | 6.72 |
| 45 | लघु सिंचाई कार्य | 679.51 | 0.00 | 679.51 | 405.38 | -274.13 | -274.01 | -0.12 |
| 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 959.28 | 257.85 | 1,217.13 | 974.39 | -242.74 | -243.47 | 0.73 |
| 67 | लोक निर्माण कार्य-भवन | 800.32 | 3.96 | 804.28 | 454.27 | -350.01 | -350.56 | 0.55 |
| 71 | सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी | 69.40 | 86.68 | 156.08 | 54.40 | -101.68 | -101.68 | 0.00 |
| 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 689.71 | 0.00 | 689.71 | 164.80 | -524.91 | -522.09 | -2.82 |
| 76 | लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 940.15 | 0.00 | 940.15 | 781.58 | -158.57 | -158.43 | -0.14 |
| 80 | त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 433.00 | 0.00 | 433.00 | 281.46 | -151.54 | -151.54 | 0.00 |
| 82 | जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 333.00 | 0.00 | 333.00 | 217.82 | -115.18 | -115.18 | 0.00 |
| योग | | 12,045.43 | 1,371.23 | 13,416.67 | 9,231.78 | -4,184.89 | -4,192.20 | 7.30 |
| कुल योग | | 85,563.44 | 8,751.33 | 94,314.78 | 79,267.30 | -15,047.48 | -15,300.04 | 252.56 |

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: कडिका 3.5.6)

वर्ष 2022-23 के दौरान अनुदानों की सूची जहाँ वृहद बचत हुई (बचत ₹500 करोड़ से अधिक)

(₹ करोड़ में)

| अनुदान संख्या | अनुदान का नाम | मूल बजट | अनुपूरक बजट | कुल बजट | वास्तविक व्यय | बचत (-) | समर्पण | समर्पण रहित बचत |
|------------------------|---|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|-----------------|
| राजस्व (दत्तमत) | | | | | | | | |
| 03 | पुलिस | 5,430.57 | 2.56 | 5,433.13 | 4,703.43 | -729.70 | -664.26 | -65.44 |
| 24 | लोक निर्माण कार्य- सड़के और पुल | 938.26 | 260.27 | 1,198.53 | 660.96 | -537.56 | -531.76 | -5.81 |
| 30 | पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग | 2,875.80 | 539.81 | 3,415.61 | 2,521.37 | -894.24 | -894.30 | 0.06 |
| 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोगना | 16,126.14 | 2,399.32 | 18,525.46 | 16,197.17 | -2,328.29 | -2,477.66 | 149.37 |
| 58 | प्राकृतिक आपदाओं और अभाव के कारण राहत पर व्यय | 1,110.55 | 0.00 | 1,110.55 | 594.93 | -515.61 | -767.33 | 251.72 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 64 | अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 5,287.40 | 864.07 | 6,151.47 | 5,415.85 | -735.62 | -724.85 | -10.77 |
| योग | | 31,768.71 | 4,066.03 | 35,834.75 | 30,093.72 | -5,741.03 | -6,060.16 | 319.13 |
| राजस्व (भारित) | | | | | | | | |
| CH2 | ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग | 7,002.70 | 0.00 | 7,002.70 | 6,320.06 | -682.63 | -682.63 | 0.00 |
| योग | | 7,002.70 | 0.00 | 7,002.70 | 6,320.06 | -682.63 | -682.63 | 0.00 |
| पूँजीगत (दत्तमत) | | | | | | | | |
| 41 | आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 3,106.75 | 919.74 | 4,026.49 | 3,256.69 | -769.80 | -764.84 | -4.96 |
| 42 | लघु सिंचाई निर्माण कार्य | 1,238.16 | 0.00 | 1,238.16 | 676.55 | -561.61 | -568.33 | 6.72 |
| 75 | जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 689.71 | 0.00 | 689.71 | 164.80 | -524.91 | -522.09 | -2.82 |
| योग | | 5,034.62 | 919.75 | 5,954.37 | 4,098.05 | -1,856.32 | -1,855.26 | -1.05 |
| कुल योग | | 43,806.03 | 4,985.78 | 48,791.81 | 40,511.83 | -8,279.98 | -8,598.06 | 318.08 |

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: कडिका 3.5.6)

माह मार्च के अंत में समर्पण की राशि (₹10 करोड़) अधिक का विवरण

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अनुदान का नाम | मूल बजट | अनुपूरक बजट | कुल बजट | वास्तविक व्यय | बचत(-)/आधिक्य(+) | समर्पण |
|---------|--|----------|-------------|----------|---------------|------------------|-----------|
| 1 | 1-सामान्य प्रशासन | 380.95 | 126.76 | 507.72 | 452.46 | -55.26 | -50.90 |
| 2 | 2-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय | 429.61 | 11.25 | 440.86 | 269.00 | -171.85 | -160.79 |
| 3 | 3-पुलिस | 5,667.04 | 3.06 | 5,670.10 | 4,921.57 | -748.54 | -682.32 |
| 4 | 4-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 85.68 | 17.37 | 103.05 | 46.88 | -56.17 | -25.27 |
| 5 | 5-जेल | 197.50 | 0.00 | 197.50 | 169.47 | -28.03 | -28.12 |
| 6 | 6-वित्त | 7,736.18 | 3.64 | 7,739.82 | 7,778.29 | 38.48 | -1,393.54 |
| 7 | 7-वाणिज्य कर विभाग | 363.09 | 3.07 | 366.16 | 316.46 | -49.70 | -57.83 |
| 8 | 8-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन | 1,504.12 | 137.92 | 1,642.04 | 1,146.94 | -495.10 | -463.86 |
| 9 | 9- राजस्व विभाग से संबंधित व्यय | 21.94 | 0.00 | 21.94 | 6.55 | -15.39 | -15.39 |
| 10 | 10-वन | 1,819.48 | 517.03 | 2,336.50 | 2,069.23 | -267.27 | -265.91 |
| 11 | 11-वाणिज्य एवं उद्योग | 346.07 | 38.00 | 384.07 | 233.06 | -151.01 | -150.80 |
| 12 | 13-कृषि | 5,306.77 | 550.23 | 5,857.00 | 5,408.72 | -448.28 | -448.36 |
| 13 | 14-पशुपालन | 469.08 | 0.10 | 469.18 | 360.60 | -108.58 | -110.99 |
| 14 | 15- अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता | 263.86 | 0.00 | 263.86 | 167.16 | -96.70 | -96.70 |
| 15 | 16-मतस्य पालन | 83.83 | 0.00 | 83.83 | 52.74 | -31.08 | -31.18 |
| 16 | 17-सहकारिता | 257.59 | 79.90 | 337.49 | 269.53 | -67.96 | -67.96 |
| 17 | 18-श्रम | 156.04 | 0.00 | 156.04 | 125.46 | -30.58 | -30.58 |

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 2,823.77 | 341.70 | 3,165.48 | 2,675.33 | -490.14 | -553.27 |
| 19 | 20-लोक स्वास्थ्य यात्रिकी | 869.71 | 581.60 | 1,451.31 | 1,320.49 | -130.81 | -133.66 |
| 20 | 21-भवन एवं पर्यावरण विभाग | 579.16 | 208.26 | 787.42 | 607.37 | -180.04 | -179.79 |
| 21 | 23-जल संसाधन | 1,183.16 | 0.00 | 1,183.16 | 746.25 | -436.91 | -437.07 |
| 22 | 24- लोक निर्माण-सड़कें और पुल | 2,615.87 | 360.27 | 2,976.14 | 2,048.03 | -928.11 | -931.71 |
| 23 | 25-खनिज संसाधन | 751.75 | 0.00 | 751.75 | 685.50 | -66.25 | -66.35 |
| 24 | 26-सांस्कृतिक विभाग | 52.46 | 15.50 | 67.96 | 56.01 | -11.95 | -11.98 |
| 25 | 27-स्कूल शिक्षा | 5,632.81 | 2.70 | 5,635.51 | 5,201.88 | -433.63 | -351.54 |
| 26 | 29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 555.80 | 14.19 | 569.99 | 485.22 | -84.77 | -84.82 |
| 27 | 30-पंचायत और ग्रामीण विकास | 3,495.02 | 700.53 | 4,195.56 | 3,259.43 | -936.13 | -935.00 |
| 28 | 31-योजना अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग | 54.07 | 0.02 | 54.09 | 33.48 | -20.61 | -20.67 |
| 29 | 32-जनसंपर्क विभाग | 319.87 | 88.03 | 407.90 | 390.12 | -17.77 | -17.77 |
| 30 | 33-आदिवासी कल्याण | 5,225.00 | 305.13 | 5,530.14 | 5,284.06 | -246.07 | -244.43 |
| 31 | 34-सामाजिक कल्याण | 115.65 | 0.00 | 115.65 | 88.62 | -27.02 | -27.04 |
| 32 | 36-यातायात | 105.29 | 16.84 | 122.13 | 72.98 | -49.15 | -45.81 |
| 33 | 37-पर्यटन | 126.24 | 9.00 | 135.24 | 117.76 | -17.49 | -17.49 |
| 35 | 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 2,548.47 | 650.00 | 3,198.47 | 2,928.08 | -270.40 | -270.24 |
| 36 | 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 19,291.11 | 3,325.67 | 22,616.78 | 19,484.46 | -3,132.32 | -3,276.73 |
| 37 | 42- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य | 1,240.16 | 0.00 | 1,240.16 | 676.73 | -563.43 | -570.15 |
| 38 | 43-खेल-कूद युवा कल्याण | 70.29 | 13.45 | 83.74 | 45.85 | -37.88 | -37.88 |
| 39 | 44-उच्च शिक्षा | 857.99 | 15.00 | 872.99 | 775.10 | -97.89 | -100.34 |
| 40 | 45-लघु सिंचाई कार्य | 759.65 | 0.00 | 759.65 | 471.65 | -288.00 | -287.94 |
| 41 | 46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 25.35 | 0.00 | 25.35 | 9.79 | -15.56 | -15.56 |
| 42 | 47-तकनीकी शिक्षा एवं जनशक्ति योजना | 381.32 | 61.00 | 442.32 | 302.48 | -139.83 | -140.11 |
| 43 | 54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा | 272.00 | 0.00 | 272.00 | 224.65 | -47.36 | -47.36 |
| 44 | 55-महिला एवं बाल कल्याण | 1,136.34 | 29.64 | 1,165.98 | 765.51 | -400.47 | -418.50 |
| 46 | 56-ग्रामीण उद्योग | 117.81 | 3.13 | 120.94 | 102.34 | -18.60 | -18.47 |
| 47 | 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत | 1,110.75 | 0.00 | 1,110.75 | 594.93 | -515.81 | -767.53 |
| 48 | 64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 6,268.39 | 1,121.92 | 7,390.30 | 6,405.19 | -985.12 | -975.07 |
| 49 | 65-उड्डयन विभाग | 61.49 | 78.00 | 139.49 | 124.01 | -15.49 | -15.02 |
| 50 | 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण | 253.71 | 151.04 | 404.75 | 62.01 | -342.74 | -342.73 |
| 51 | 67-लोक निर्माण कार्य-भवन | 1,504.97 | 3.96 | 1,508.93 | 1,035.64 | -473.29 | -435.78 |
| 52 | 68- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन | 128.76 | 0.45 | 129.21 | 53.88 | -75.34 | -75.16 |
| 53 | 69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण | 868.97 | 582.70 | 1,451.67 | 1,299.73 | -151.93 | -151.93 |
| 54 | 71-सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी | 192.33 | 86.68 | 279.01 | 92.22 | -186.79 | -178.42 |

| | | | | | | | |
|------------|---|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 55 | 75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 689.71 | 0.00 | 689.71 | 164.80 | -524.91 | -522.09 |
| 56 | 76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 940.15 | 0.00 | 940.15 | 781.58 | -158.57 | -158.43 |
| 57 | 79- चिकित्सा शिक्षा | 1,108.97 | 266.69 | 1,375.66 | 1,122.96 | -252.69 | -237.00 |
| 58 | 80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 3,472.99 | 0.00 | 3,472.99 | 3,042.20 | -430.79 | -430.76 |
| 59 | 81-नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता | 2,681.83 | 83.00 | 2,764.83 | 2,456.28 | -308.54 | -308.56 |
| 60 | 82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 578.92 | 0.00 | 578.92 | 382.28 | -196.64 | -196.64 |
| 61 | CH1 -लोक ऋण | 6,011.90 | 0.00 | 6,011.90 | 9,600.72 | 3,588.82 | -116.91 |
| 62 | CH2 -ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग | 7,002.70 | 0.00 | 7,002.70 | 6,320.06 | -682.63 | -682.63 |
| योग | | 1,09,171.50 | 10,604.43 | 1,19,775.93 | 1,06,191.82 | -13,584.11 | -18,916.87 |

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: कडिका 3.5.6)

उप शीर्ष जहाँ विनियोग लेखे में विचलन के लिए स्पष्टीकरण की आवश्यकता है

| क्र.सं. | अनुदान विवरण | उप-शीर्ष | उप-शीर्ष स्पष्टीकरण की आवश्यकता | स्पष्टीकरण प्राप्त हुए |
|---------|---|----------|---------------------------------|------------------------|
| 1 | 01-सामान्य प्रशासन | 52 | 12 | 5 |
| 2 | 02-सामान्य प्रशासन से संबंधित अन्य व्यय | 15 | 7 | 3 |
| 3 | 03-पुलिस | 57 | 31 | 9 |
| 4 | 04-गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय | 26 | 9 | 9 |
| 5 | 05-जेल | 7 | 3 | 0 |
| 6 | 06-वित्त विभाग | 43 | 19 | 11 |
| 7 | 07-वाणिज्य कर विभाग | 37 | 11 | 5 |
| 8 | 08-भूमि राजस्व एवं जिला प्रशासन | 50 | 23 | 11 |
| 9 | 09-राजस्व विभाग से संबंधित व्यय | 7 | 3 | 0 |
| 10 | 10-वन | 88 | 36 | 14 |
| 11 | 11-वाणिज्य एवं उद्योग | 46 | 18 | 18 |
| 12 | 12-ऊर्जा | 47 | 9 | 7 |
| 13 | 13-कृषि | 112 | 64 | 4 |
| 14 | 14-पशुपालन विभाग | 59 | 20 | 4 |
| 15 | 15-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं की वित्तीय सहायता | 21 | 8 | 4 |
| 16 | 16-मत्स्य पालन | 20 | 8 | 3 |
| 17 | 17-सहकारिता | 24 | 9 | 0 |
| 18 | 18-श्रम | 19 | 12 | 3 |
| 19 | 19-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 81 | 32 | 24 |

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| | | | | |
|----|--|-----|-----|----|
| 20 | 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी | 64 | 26 | 6 |
| 21 | 21-आवास एवं पर्यावरण विभाग | 25 | 16 | 4 |
| 22 | 22-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग | 5 | 2 | 1 |
| 23 | 23-जल संसाधन विभाग | 132 | 36 | 7 |
| 24 | 24-लोक निर्माण कार्य-सड़के और पुल | 50 | 33 | 18 |
| 25 | 25-खनिज संसाधन विभाग | 17 | 7 | 0 |
| 26 | 26-सांस्कृतिक विभाग से संबंधित खर्च | 31 | 9 | 2 |
| 27 | 27-स्कूल शिक्षा | 80 | 32 | 14 |
| 28 | 28-राज्य विधायिका | 8 | 6 | 4 |
| 29 | 29-न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन | 35 | 20 | 1 |
| 30 | 30-पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 57 | 26 | 6 |
| 31 | 31-योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग | 14 | 6 | 2 |
| 32 | 32-जनसंपर्क विभाग | 55 | 8 | 0 |
| 33 | 33-आदिम जाति कल्याण | 19 | 13 | 4 |
| 34 | 34-सामाजिक कल्याण | 48 | 9 | 4 |
| 35 | 35-पुर्नवास | 3 | 2 | 0 |
| 36 | 36-यातायात | 21 | 12 | 6 |
| 37 | 37-पर्यटन | 12 | 5 | 0 |
| 38 | 39-खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 40 | 11 | 1 |
| 39 | 41-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना | 630 | 264 | 97 |
| 40 | 42-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य | 27 | 18 | 8 |
| 41 | 43-खेल एवं युवा कल्याण | 24 | 6 | 0 |
| 42 | 44-उच्च शिक्षा | 41 | 14 | 3 |
| 43 | 45-लघु सिंचाई कार्य | 18 | 9 | 1 |
| 44 | 46-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | 7 | 5 | 0 |
| 45 | 47-तकनीकी शिक्षा और जन शक्ति नियोजक विभाग | 48 | 25 | 9 |
| 46 | 49-अनुसूचित जाति कल्याण | 3 | 2 | 2 |
| 47 | 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से संबंधित व्यय | 1 | 1 | 0 |
| 48 | 51-धार्मिक ट्रस्ट और बन्दोबस्ती | 10 | 4 | 0 |
| 49 | 53-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायो के वित्तीय सहायता | 18 | 3 | 1 |
| 50 | 54-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से संबंधित व्यय | 16 | 7 | 4 |
| 51 | 55-महिला एवं बाल कल्याण | 90 | 42 | 26 |
| 52 | 56-ग्रामीण उद्योग | 39 | 4 | 4 |
| 53 | 57-जल संसाधन विभाग से संबंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 8 | 3 | 0 |
| 54 | 58-प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत | 63 | 31 | 19 |
| 55 | 60-जिला उपयोजनाएँ से संबंधित खर्च | 2 | 2 | 2 |
| 56 | 64-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 499 | 151 | 49 |
| 57 | 65-विमानन विभाग | 4 | 2 | 1 |
| 58 | 66-पिछड़ा वर्ग कल्याण | 33 | 11 | 7 |

| | | | | |
|----|---|--------------|--------------|------------|
| 59 | 67-लोक निर्माण कार्य-भवन | 206 | 58 | 14 |
| 60 | 68-आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन | 36 | 12 | 2 |
| 61 | 69-नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण | 71 | 32 | 0 |
| 62 | 71-सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी | 28 | 19 | 8 |
| 63 | 75-जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 26 | 23 | 1 |
| 64 | 76-लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएँ | 9 | 6 | 4 |
| 65 | 79-चिकित्सा शिक्षा विभाग | 49 | 24 | 14 |
| 66 | 80-त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 58 | 20 | 1 |
| 67 | 81-नगरीय निकाओं को वित्तीय सहायता | 91 | 11 | 0 |
| 68 | 82-अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता | 27 | 9 | 1 |
| 69 | 83-अनुसूचित जनजातियों उपयोजना के अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 23 | 2 | 0 |
| 70 | CH1 - लोक ऋण | 17 | 8 | 6 |
| 71 | CH2 - ब्याज भुगतान और ऋण की सर्विसिंग | 87 | 16 | 13 |
| | योग | 3,836 | 1,457 | 511 |

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.5.7)

वर्ष 2000-01 से 2021-22 के लिए प्रावधान के ऊपर आधिक्य व्यय

(₹ करोड़ में)

| वर्ष | अनुदान/ विनियोग | अनुदान/विनियोग की संख्या | आधिक्य की राशि |
|---------|--------------------|--|-------------------|
| 2000-01 | 11 अनुदान | 2,14,23,24,33,34,60,71,80,82 और 83 | 10.21 |
| | 2 विनियोग | 6 और 24 | |
| 2001-02 | 14 अनुदान | 6,14,15,17,23,24,30,33,45,54,60,67,71 और 83 | 115.90 |
| | 2 विनियोग | 16 और 25 | |
| 2002-03 | 8 अनुदान | 10,15,24,33,37,45,58 और 82 | 114.59 |
| | 2 विनियोग | 20 और 67 | |
| 2003-04 | 4 अनुदान | 12,33,40 और 67 | 591.12 |
| | 2 विनियोग | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा एवं 6 | |
| 2004-05 | 4 अनुदान | 15,24,67 और 81 | 133.36 |
| | 5 विनियोग | ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा, लोक ऋण 6,10 एवं 42 | |
| 2005-06 | 4 अनुदान | 4,15,24 और 39 | 23.27 |
| | 2 विनियोग | 6 और 23 | |
| 2006-07 | 4 अनुदान | 4,24,67 और 82 | 5.13 |
| | 1 विनियोग | 33 | |
| 2007-08 | 3 अनुदान | 23,33 और 60 | 15.99 |
| | 3 विनियोग | 13,24 और 36 | |
| 2008-09 | 9 अनुदान | 6,23,24,40,67,75,76,80 और 82 | 115.26 |
| | 1 विनियोग | 23 | |
| 2009-10 | 10 अनुदान | 3,6,22,23,24,25,49,64,76 और 80 | 216.77 |
| | 5 विनियोग | 3,12,13,43 और 67 | |

| | | | |
|------------|-----------|--|------------------|
| 2010-11 | 22 अनुदान | 1,2,6,7,8,9,12,18,23,25,29,30,39,40,45,49,56,57,58,75,82 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | 293.78 |
| | 6 विनियोग | लोक ऋण 1,20,23,29 और 36 | |
| 2011-12 | 24 अनुदान | 1,2,6,7,15,17,18,21,22,23,27,29,34,40,43,45,47,50,53,55,66,80,81 और 83 | 498.09 |
| | 1 विनियोग | 29 | |
| 2012-13 | 2 अनुदान | 40 और 45 | 0.96 |
| | 2 विनियोग | 6 और 55 | |
| 2013-14 | 3 अनुदान | 06,12 और 60 | 178.96 |
| | 3 विनियोग | 06,14 और 27 | |
| 2014-15 | 4 अनुदान | 06,19,33 और 80 | 833.54 |
| | 2 विनियोग | 06 और लोक ऋण | |
| 2015-16 | 3 अनुदान | 6,12 और 50 | 98.24 |
| | 2 विनियोग | 41 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | |
| 2016-17 | 2 अनुदान | 06 और 50 | 0.92 |
| | 3 विनियोग | 06,55 और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | 11.46 |
| 2017-18 | 3 अनुदान | 6,49 और 50 | 2.24 |
| | 3 विनियोग | 14,33 और 55 | 0.37 |
| 2018-19 | 2 अनुदान | 6 और 50 | 1.19 |
| | 4 विनियोग | 6,14,33 और 67 | 0.48 |
| 2019-20 | 3 अनुदान | 06,33 और 44 | 646.07 |
| | 3 विनियोग | 55, लोक ऋण और ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा | 6,036.62 |
| 2020-21 | 2 अनुदान | 06 और 83 | 252.24 |
| | 2 विनियोग | 06 और लोक ऋण | 3,179.87 |
| 2021-22 | 2 अनुदान | 06 और 51 | 590.41 |
| | 3 विनियोग | 06, 55 और लोक ऋण | 3,469.35 |
| योग | | | 17,436.39 |

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: कडिका 3.5.7)

वर्ष 2022-23 में मुख्य शीर्ष का विवरण जहाँ आधिक्य हुआ

(₹ करोड़ में)

| क्र.सं. | अनुदान संख्या | मुख्य शीर्ष | मुख्य शीर्ष का विवरण | कुल प्रावधान | व्यय | आधिक्य व्यय |
|---------|---------------|-------------|------------------------------------|--------------|----------|-------------|
| 1 | 06 | 2071 | पेंशन और अन्य सेवानिवृत्त लाभ | 7,594.60 | 7,657.31 | 62.71 |
| 2 | 06 | 2075 | विविध सामान्य सेवाएं | 0.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | 06 | 2235 | सामाजिक सुरक्षा और कल्याण | 0.00 | 1.52 | 1.52 |
| 4 | 07 | 2030 | टिकट और पंजीकरण | 138.01 | 140.44 | 2.42 |
| 5 | 08 | 4059 | लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय | 5.26 | 85.92 | 80.66 |
| 6 | 08 | 5054 | सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय | 0.00 | 9.51 | 9.51 |
| 7 | 19 | 2071 | पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ | 2.30 | 4.15 | 1.85 |
| 8 | 23 | 2701 | मध्यम सिंचाई | 272.60 | 380.55 | 107.95 |
| 9 | 32 | 2040 | बिक्री, व्यापार आदि पर कर | 0.02 | 0.04 | 0.02 |
| 10 | 32 | 2051 | लोक सेवा आयोग | 0.47 | 0.76 | 0.29 |
| 11 | 32 | 2056 | जेलों | 0.10 | 0.17 | 0.07 |

| | | | | | | |
|------------|-----|------|--|------------------|------------------|-----------------|
| 12 | 32 | 2070 | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 0.30 | 0.45 | 0.15 |
| 13 | 32 | 2215 | जल आपूर्ति और स्वच्छता | 2.40 | 4.90 | 2.50 |
| 14 | 32 | 2225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण | 0.50 | 0.64 | 0.14 |
| 15 | 32 | 2406 | वानिकी और वन्यजीव | 1.40 | 1.55 | 0.15 |
| 16 | 32 | 3475 | अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं | 0.01 | 0.14 | 0.13 |
| 17 | CH1 | 6003 | राज्य सरकार के आंतरिक ऋण | 5,778.88 | 9,370.39 | 3,591.51 |
| योग | | | | 13,796.85 | 17,663.43 | 3,866.58 |

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: कंडिका 3.6)

अनुदान जहां वर्ष 2022-23 में व्यय सीमाओं का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका

| अनुदान सं. – विवरण | कुल बजट | व्यय | | | कुल व्यय | कुल बजट के प्रतिशत के रूप में पहले अर्धवर्ष में व्यय (45% सीमा) | कुल बजट के प्रतिशत के रूप में दूसरे अर्धवर्ष में व्यय (55% सीमा) | कुल बजट के प्रतिशत के रूप में मार्च 2023 में व्यय (20% सीमा) |
|---|----------|------------------|----------------|----------|----------|---|--|--|
| | | पहले अर्धवर्ष | दूसरे अर्धवर्ष | मार्च | | | | |
| 6 – वित्त विभाग से संबंधित व्यय | 7,739.82 | 3,725.15 | 4,053.14 | 97.74 | 7,778.29 | 48.13 | 52.37 | 1.26 |
| 27 – स्कूली शिक्षा | 5,635.51 | 2,847.71 | 2,354.17 | 600.46 | 5,201.88 | 50.53 | 41.77 | 10.65 |
| 33 –आदिवासी कल्याण | 5,530.14 | 2,722.80 | 2,561.27 | 367.24 | 5,284.07 | 49.24 | 46.31 | 6.64 |
| 7 – वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित व्यय | 366.16 | 109.82 | 206.64 | 14.27 | 316.46 | 29.99 | 56.43 | 3.90 |
| 10 –वन | 2,336.50 | 761.82 | 1,307.41 | 498.11 | 2,069.23 | 32.61 | 55.96 | 21.32 |
| 12 – ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय | 3,738.74 | 1,101.11 | 2,633.48 | 1,067.28 | 3,734.59 | 29.45 | 70.44 | 28.55 |
| 13 –कृषि | 5,857.00 | 2,139.40 | 3,269.32 | 1,521.47 | 5,408.72 | 36.53 | 55.82 | 25.98 |
| 17 –सहयोग | 337.49 | 40.17 | 229.36 | 113.42 | 269.53 | 11.90 | 67.96 | 33.61 |
| 20 – पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग | 1,451.31 | 383.31 | 937.19 | 461.66 | 1,320.50 | 26.41 | 64.58 | 31.81 |

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|
| 25 – खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय | 751.75 | 19.91 | 665.59 | 9.02 | 685.50 | 2.65 | 88.54 | 1.20 |
| 26 – संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय | 67.96 | 12.83 | 43.17 | 11.46 | 56.00 | 18.88 | 63.53 | 16.86 |
| 32 – जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय | 407.90 | 93.98 | 296.14 | 143.10 | 390.12 | 23.04 | 72.60 | 35.08 |
| 39– खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय | 3,198.47 | 783.26 | 2,144.82 | 1,097.97 | 2,928.08 | 24.49 | 67.06 | 34.33 |
| 51 – धार्मिक न्यास और धर्मोपस्व | 20.93 | 1.40 | 13.53 | 4.41 | 14.93 | 6.69 | 64.64 | 21.09 |
| 53 – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत शहरी निकायों को वित्तीय सहायता | 80.99 | 33.12 | 44.67 | 2.56 | 77.79 | 40.89 | 55.15 | 3.15 |
| 56 – ग्रामीण उद्योग | 120.94 | 34.55 | 67.79 | 19.19 | 102.34 | 28.56 | 56.05 | 15.87 |
| 60 – जिला योजना स्कीमों से संबंधित व्यय | 208.65 | 35.08 | 167.55 | 73.80 | 202.63 | 16.81 | 80.30 | 35.37 |
| 69 – नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग – नगरीय कल्याण | 1,451.67 | 310.69 | 989.05 | 313.66 | 1,299.74 | 21.40 | 68.13 | 21.61 |
| 83 – जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के तहत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता | 122.21 | 49.27 | 70.23 | 6.49 | 119.50 | 40.31 | 57.47 | 5.31 |
| CH1 – लोक ऋण | 6,011.90 | 483.14 | 9,117.58 | 6,099.05 | 9,600.72 | 8.04 | 151.66 | 101.45 |
| 35 – पुनर्वास | 1.94 | 0.70 | 0.95 | 0.40 | 1.65 | 36.09 | 48.83 | 20.71 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-------|-------|-------|
| 41 —जनजातीय क्षेत्र उपयोजना | 22,616.78 | 8,091.13 | 11,393.34 | 4,617.71 | 19,484.47 | 35.77 | 50.38 | 20.42 |
| 43 —खेल एवं युवा कल्याण | 83.74 | 6.87 | 38.99 | 18.28 | 45.86 | 8.20 | 46.56 | 21.82 |
| 58 — प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय | 1,110.75 | 114.15 | 480.78 | 301.12 | 594.93 | 10.28 | 43.28 | 27.11 |
| 64 — अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना | 7,390.30 | 2,571.53 | 3,833.65 | 1,644.46 | 6,405.19 | 34.80 | 51.87 | 22.25 |

परिशिष्ट 4.1
(संदर्भ: कंडिका 4.3)

31 मार्च 2023 तक लंबित विस्तृत आकस्मिक देयकों का विवरण

(₹ करोड़ में)

| मुख्य शीर्ष | विभागों के नाम | वर्ष | लंबित विस्तृत आकस्मिक देयक | राशि |
|-------------|----------------------------|---------|----------------------------|---------------|
| 2029 | भू-राजस्व | 2017-18 | 01 | 0.01 |
| | | 2020-21 | 01 | 0.02 |
| 2041 | परिवहन | 2022-23 | 01 | 5.00 |
| 2070 | सामान्य प्रशासन | 2022-23 | 01 | 5.50 |
| 2203 | तकनीकी शिक्षा | 2022-23 | 02 | 2.00 |
| 2230 | श्रम तथा रोजगार | 2022-23 | 06 | @0.00 |
| 2235 | सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण | 2019-20 | 35 | 0.58 |
| | | 2020-21 | 38 | 0.37 |
| | | 2021-22 | 79 | 0.57 |
| | | 2022-23 | 220 | 1.41 |
| 2401 | कृषि और जैव प्रौद्योगिकी | 2021-22 | 47 | 107.17 |
| | | 2022-23 | 01 | 0.05 |
| 2406 | वन | 2022-23 | 01 | 0.01 |
| 2425 | सहकारिता | 2022-23 | 03 | 183.00 |
| 2701 | जल संसाधन | 2017-18 | 01 | *0.00 |
| 2851 | ग्रामीण तथा लघु उद्योग | 2022-23 | 28 | 0.83 |
| 2852 | वाणिज्य एवं उद्योग | 2022-23 | 07 | 0.15 |
| योग | | | 471 | 306.67 |

*डीसी की राशि ₹4,190.00, @ डीसी की राशि ₹20,500.00।

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: कंडिका 4.12)

जून 2023 तक स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के खातों का बकाया

| क्र.सं. | निकाय/प्राधिकरण का नाम | तब से खाता लंबित है | वित्तीय वर्ष 2022-23 तक लंबित खातों की संख्या |
|---------|---|--|---|
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग | 2001-02 से 2022-23 | 22 |
| 2 | छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण | 2021-22 से 2022-23 | 02 |
| 3 | छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर | 2021-22 से 2022-23 | 02 |
| 4 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बस्तर (जगदलपुर) | 2022-23 | 01 |
| 5 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोद | 2022-23 | 01 |
| 6 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर | 2019-20 से 2022-23 | 04 |
| 7 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दंतेवाड़ा | 2019-20 से 2022-23 | 04 |
| 8 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धमतरी | 2019-20 से 2022-23 | 04 |
| 9 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जांजगीर-चांपा | 2022-23 | 01 |
| 10 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जशपुर | 2020-21 से 2022-23 | 03 |
| 11 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कबीरधाम | 2022-23 | 04 |
| 12 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरबा | 2021-22 से 2022-23 | 02 |
| 13 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायगढ़ | 2021-22 से 2022-23 | 02 |
| 14 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायपुर | 2020-21 से 2022-23 | 03 |
| 15 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरगुजा (अंबिकापुर) | 2020-21 से 2022-23 | 03 |
| 16 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कांकेर | 2019-20 से 2022-23 | 04 |
| 17 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बेमेतरा | 2018-19 से 2022-23 | 05 |
| 18 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग | 2021-22 से 2022-23 | 02 |
| 19 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोरिया (बैकुंठपुर) | 2018-19 से 2022-23 | 05 |
| 20 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजनांदगांव | 2019-20 से 2022-23 | 04 |
| 21 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महासमुंद | 2021-22 से 2022-23 | 02 |
| 22 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलौदा बाजार | 2017-18 से 2022-23 | 06 |
| 23 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोंडागांव | 2018-19 से 2022-23 | 05 |
| 24 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मुंगेली | 2022-23 | 01 |
| 25 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलरामपुर | 2013-14 से 2017-18 एवं 2019-20 से 2022-23 | 08 |
| 26 | जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर | 2019-20 से 2022-23 | 04 |
| 27 | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक | 2022-23 | 01 |
| 28 | राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (कैम्पा) | 2022-23 | 01 |

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: कंडिका 4.13)

चोरी, गबन एवं शासकीय संपत्ति/सामग्री की कमी के कारण शासन को हुई हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

| क्र. सं. | विभाग के नाम | चोरियों के प्रकरण | | गबनों के प्रकरण | | सरकारी संपत्तियों/वस्तुओं की हानि | | योग | |
|------------|--|--------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि | प्रकरणों की संख्या | राशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | उच्च शिक्षा | 12 | 10.42 | 2 | 0.62 | 3 | 2.51 | 17 | 13.55 |
| 02 | कला एवं संस्कृति | 1 | 0.81 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 2 | 0.81 |
| 03 | जिला प्रशासन | 1 | 0.67 | 4 | 0.79 | 0 | 0.00 | 5 | 1.46 |
| 04 | लेखा एवं कोषालय प्रबंधन | 3 | 0.19 | 0 | 0.00 | 3 | 11.81 | 6 | 12.00 |
| 05 | ग्रामीण विकास | 4 | 1.08 | 2 | 0.05 | 14 | 16.70 | 20 | 17.83 |
| 06 | पंचायत एवं सामाजिक कल्याण | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1.00 | 2 | 1.00 |
| 07 | विद्यालय शिक्षा | 20 | 12.81 | 19 | 156.26 | 19 | 63.04 | 58 | 232.11 |
| 08 | पुलिस | 29 | 8.21 | 5 | 19.45 | 249 | 48.30 | 283 | 75.96 |
| 09 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | 3 | 0.15 | 1 | 0.10 | 7 | 0.85 | 11 | 1.10 |
| 10 | भू-राजस्व (तहसील विभाग) | 2 | 0.50 | 8 | 1.37 | 2 | 0.18 | 12 | 2.05 |
| 11 | पशु चिकित्सा सेवा | 8 | 1.80 | 1 | 0.10 | 213 | 21.28 | 222 | 23.18 |
| 12 | सहकारिता | 0 | 0.00 | 1 | 96.26 | 0 | 0.00 | 1 | 96.26 |
| 13 | महिला एवं बाल विकास | 1 | 3.50 | 0 | 0.00 | 2 | 0.31 | 3 | 3.81 |
| 14 | डेयरी विकास | 1 | 0.20 | 1 | 0.02 | 0 | 0.00 | 2 | 0.22 |
| 15 | ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.37 | 1 | 0.37 |
| 16 | विधि एवं विधायी विभाग | 4 | 0.21 | 1 | 7.79 | 0 | 0.00 | 5 | 7.99 |
| 17 | श्रम एवं रोजगार | 13 | 3.91 | 0 | 0.00 | 10 | 51.71 | 23 | 55.61 |
| 18 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 3 | 0.15 | 4 | 0.23 |
| 19 | फसल-कृषि कर्म | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 0.48 | 3 | 0.48 |
| 20 | अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 3 | 1.14 | 5 | 20.61 | 7 | 1.10 | 15 | 22.85 |
| 21 | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ | 4 | 0.77 | 9 | 34.84 | 5 | 10.29 | 18 | 45.90 |
| 22 | वन | 3 | 5.76 | 0 | 0.00 | 948 | 966.62 | 951 | 972.38 |
| 23 | लोक निर्माण विभाग | 2 | 0.24 | 0 | 0.00 | 470 | 10045.10 | 472 | 10045.34 |
| 24 | जल संसाधन विभाग | 7 | 1.48 | 0 | 0.00 | 17 | 663.49 | 24 | 664.98 |
| 25 | वित्तीय एवं सांख्यिकी निदेशालय | 1 | 0.05 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.05 |
| 26 | समाहर्ता | 0 | 0.00 | 1 | 0.08 | 1 | 0.30 | 2 | 0.38 |
| 27 | खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 28 | स्वच्छता एवं जल आपूर्ति | 0 | 0.00 | 1 | 189.90 | 0 | 0.00 | 1 | 189.90 |
| 29 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 4.41 | 2 | 4.41 |
| 30 | राज्य उत्पाद शुल्क | 1 | 0.03 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 0.03 |
| योग | | 123 | 53.93 | 63 | 528.32 | 1,982 | 11,910.02 | 2,168 | 12,492.26 |

परिशिष्ट-4.4

(संदर्भ: कडिका 4.13)

सरकार को हुए नुकसान का वर्षवार विश्लेषण
(31 मार्च 2023 के अंत में वित्तीय कार्यवाही हेतु लंबित मामले)

(₹ लाख में)

| क्र.सं. | विभाग के नाम | प्रकरणों की संख्या एवं राशि | | | | | | योग |
|---------|---|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 05 वर्षों तक | 05 से 10 वर्ष | 10 से 15 वर्ष | 15 से 20 वर्ष | 20 से 25 वर्ष | 25 वर्ष से ऊपर | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | उच्च शिक्षा | - | 6 (2.23) | 4 (6.80) | 3 (3.78) | 1 (0.13) | 3 (0.61) | 17 (13.55) |
| 2 | कला एवं संस्कृति | - | 1 (0.00) | - | - | - | 1 (0.81) | 2 (0.81) |
| 3 | जिला प्रशासन | - | - | - | 2 (0.40) | 2 (0.83) | 1 (0.23) | 5 (1.46) |
| 4 | लेखा एवं कोषालय प्रबंधन | - | - | - | 2 (0.07) | - | 4 (11.93) | 6 (12.00) |
| 5 | ग्रामीण विकास | 2 (0.21) | - | 1 (0.50) | 2 (0.71) | 4 (2.28) | 11 (14.13) | 20 (17.83) |
| 6 | पंचायत एवं सामाजिक कल्याण | - | 1 (1.00) | 1 (0.00) | - | - | - | 2 (1.00) |
| 7 | विद्यालय शिक्षा | - | 8 (148.01) | 3 (38.06) | 5 (8.56) | 3 (17.76) | 39 (19.71) | 58 (232.11) |
| 8 | पुलिस | 168 (29.5) | 52 (7.83) | 34 (7.91) | 14 (1.04) | 9 (13.34) | 6 (16.33) | 283 (75.96) |
| 9 | स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण | - | - | - | - | - | 11 (1.10) | 11 (1.10) |
| 10 | भू-राजस्व (तहसील) | - | - | - | 3 (0.98) | - | 9 (1.07) | 12 (2.05) |
| 11 | पशु चिकित्सा सेवाएँ | 67 (4.78) | 44 (7.67) | 63 (5.99) | 43 (4.05) | - | 5 (0.69) | 222 (23.18) |
| 12 | सहकारिता | - | - | - | - | - | 1 (96.26) | 1 (96.26) |
| 13 | महिला एवं बाल विकास | - | - | - | - | - | 3 (3.82) | 3 (3.82) |
| 14 | डेयरी विकास | - | - | - | - | 1 (0.20) | 1 (0.02) | 2 (0.22) |
| 15 | ग्रामीण एवं लघु उद्योग (रेशम) विभाग | - | 1 (0.38) | - | - | - | - | 1 (0.38) |
| 16 | विधि एवं विधायी विभाग | 1 (0.10) | - | 2 (0.00) | 1 (0.11) | 1 (7.79) | - | 5 (8.00) |
| 17 | श्रम एवं रोजगार | 3 (1.17) | 2 (46.80) | 10 (5.92) | 2 (1.04) | 1 (0.27) | 5 (0.42) | 23 (55.61) |
| 18 | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग | - | - | - | 1 (0.10) | - | 3 (0.13) | 4 (0.23) |
| 19 | फसल-कृषि कर्म | - | - | 2 (0.16) | 1 (0.33) | - | - | 3 (0.49) |
| 20 | अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण | 1 (0.17) | - | 1 (0.00) | 1 (19.58) | - | 12 (3.10) | 15 (22.85) |
| 21 | स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएँ | 1 (0.38) | 1 (0.00) | 1 (9.85) | 1 (0.06) | 6 (33.02) | 8 (2.59) | 18 (45.90) |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 22 | वन | 16 (16.12) | 31 (65.55) | 30 (46.08) | 99 (170.84) | 166 (363.78) | 609 (310) | 951 (972.38) |
| 23 | लोक कल्याण विभाग | 4 (43.42) | 86 (4,443.63) | 285 (5,000.80) | 97 (557.50) | - | - | 472 (10,045.35) |
| 24 | जल संसाधन विभाग | 6 (117.50) | 7 (362.72) | 7 (181.01) | 4 (3.75) | - | - | 24 (664.98) |
| 25 | आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय | - | - | 1 (0.05) | - | - | - | 1 (0.05) |
| 26 | समाहर्ता कार्यालय | - | - | - | - | - | 2 (0.38) | 2 (0.38) |
| 27 | खनन एवं धातु-कर्म उपक्रम विभाग | - | 1 (0.00) | - | - | - | - | 1 (0.00) |
| 28 | स्वच्छता एवं जल आपूर्ति | - | - | - | - | - | 1 (189.90) | 1 (189.90) |
| 29 | ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ | - | 1 (4.00) | 1 (0.41) | - | - | - | 2 (4.41) |
| 30 | राज्य उत्पाद शुल्क | 1 (0.03) | - | - | - | - | - | 1 (0.03) |
| योग | | 270 (213.38) | 242 (5,089.89) | 446 (5,303.54) | 281 (772.90) | 194 (439.40) | 735 (673.23) | 2,168 (10,315.29) |

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: कंडिका 4.13)

विभिन्न विभागों में वसूली का विवरण

(राशि ₹ में)

| क्र. सं. | वसूली प्रकरण संख्या | मुख्य शीर्ष | विभाग के नाम | प्रकार दुर्विनियोजन/हानि/चोरी | हानि की राशि | वसूली गयी राशि |
|------------|---------------------|-------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 01 | 123 | 2055 | पुलिस | हानि | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 02 | 114 | 2406 | वन | हानि | 3,148.00 | 3,148.00 |
| 03 | 115 | 2406 | | हानि | 2,872.00 | 2,872.00 |
| 04 | 116 | 2406 | | हानि | 39,064.00 | 39,064.00 |
| 05 | 117 | 2406 | | हानि | 1,18,445.00 | 1,18,445.00 |
| 06 | 124 | 2406 | | हानि | 50,821.00 | 50,821.00 |
| योग | | | | | 2,15,850.00 | 2,15,850.00 |

परिशिष्ट 5.1

पीएसयू जिनके लेखे 30 सितम्बर 2023 की स्थिति में तीन अथवा अधिक वर्षों के लिए बकाया थे, की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों को दर्शाने वाला विवरण पत्रक

(संदर्भ: कंडिका 5.4)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | क्षेत्र, प्रकार एवं पीएसयू का नाम | निगमन की तिथि | लेखों की अवधि | वर्ष जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये | ब्याज एवं कर के पश्चात शुद्ध लाभ/हानि | टर्नओवर | प्रदत्त पूँजी | वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर पूँजी | | |
|--|--|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | पूँजी* | दीर्घाविधि ऋण | कुल |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| I. कार्यशील पीएसयू जिनके लेखे तीन या अधिक वर्षों से बकाया थे/प्रथम लेखे अप्राप्त थे | | | | | | | | | | |
| अ. सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | |
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (सीएसआईडीसी) | 16.11.1981 | 2018-19 | 2022-23 | -3.94 | 29.07 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 1.6 |
| 2 | छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (सीएसआईआईसी) | 12.12.2017 | प्रथम लेखे अप्राप्त थे | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 3 | छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) | 27.02.2017 | 2019-20 | 2022-23 | 11.76 | 5777.49 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 189.00 |
| 4 | छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम (सीएनजेवीएएन) | 04.07.2004 | 2019-20 | 2020-21 | 0.34 | 2.77 | 5.00 | 5.00 | 0.18 | 5.18 |
| 5 | रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (आरएससीएल) | 16.09.2016 | 2019-20 | 2021-22 | -0.39 | 2.13 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.1 |
| 6 | छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड (सीआरएचसीएल) | 15.03.2018 | 2019-20 | 2022-23 | -6.71 | 82.33 | 0.10 | 0.10 | 1597.47 | 1597.57 |
| | | | | | 1.06 | 5893.79 | 6.85 | 6.85 | 1786.65 | 1793.50 |
| II. निष्क्रिय पीएसयू | | | | | | | | | | |
| अ. सरकारी कम्पनियाँ | | | | | | | | | | |
| 7 | छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड (सीएससीसीएल) | 30.12.2008 | 2022-23 | 2023-24 | -0.08 | 0.00 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 21.94 |
| 8 | सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड (सीआईसीपीएल) | 11.04.2008 | 2018-19 | 2020-21 | 0.00 | 0.00 | 82.60 | 82.60 | 231.71 | 314.31 |
| योग-II | | | | | -0.08 | 0.00 | 104.54 | 104.54 | 231.71 | 336.25 |
| योग (I+ II) | | | | | 0.98 | 5893.79 | 111.39 | 111.39 | 2018.36 | 2129.75 |

*आबंटन हेतु लंबित अंश आवेदन की राशि सम्मिलित है।

परिशिष्ट 5.1(ब)

30 सितम्बर 2023 की स्थिति में पीएसयू के लेखों को अंतिम रूप देने में बकाया दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ: कडिका 5.5)

| क्र. सं. | पीएसयू का नाम | वर्ष तक जिसमें लेखे अंतिमीकृत किये गये | बकाया की स्थिति | बकाया लेखों की संख्या |
|----------|---|--|--------------------|-----------------------|
| 1. | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 2. | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 3. | छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 4. | छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 से 2022-23 | 4 |
| 5. | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 6. | छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड | 2020-21 | 2021-22 से 2022-23 | 2 |
| 7. | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 8. | केरवा कोल लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 9. | छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 10. | छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 से 2022-23 | 3 |
| 11. | सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड | 2018-19 | 2019-20 से 2022-23 | 4 |
| 12. | छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड | 2020-21 | 2021-22 से 2022-23 | 2 |
| 13. | छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 14. | छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 15. | छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 16. | छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 17. | छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 18. | रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 से 2022-23 | 3 |
| 19. | बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | 2020-21 | 2021-22 से 2022-23 | 2 |
| 20. | नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 21. | छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | --- | 2017-18 से 2022-23 | 6 |

| | | | | |
|------------|---|---------|--------------------|-----------|
| 22. | उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| 23. | छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 से 2022-23 | 3 |
| 24. | छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड | 2019-20 | 2020-21 से 2022-23 | 3 |
| 25. | छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम | 2021-22 | 2022-23 | 1 |
| योग | | | | 47 |

परिशिष्ट 5.2

31 मार्च 2023 की स्थिति में राज्य के पीएसयू से संबंधित पूँजी एवं बकाया ऋण की स्थिति को दर्शाने वाला विवरण पत्रक
(संदर्भ: कडिका 5.6.1)

(₹ करोड़ में)

| क्र. सं. | क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [₹] | | | | वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण | | | | ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी | ऋण सहित कुल पूँजी |
|------------------------|---|--------------|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|---------|---------------------------------------|--------|-------------------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | | | जीओसीजी | जीओआई | अन्य [₹] | कुल | जीओसीजी | जीओआई | अन्य [₹] | कुल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | 7 | 8 |
| ऊर्जा | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 19.05.2003 | 2814.30 | 0.00 | 0.00 | 2814.30 | 29.21 | 0.00 | 6018.66 | 6047.87 | 2843.51 | 8862.17 |
| 2 | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 19.05.2003 | 939.54 | 0.00 | 0.00 | 939.54 | 9.10 | 0.00 | 1297.26 | 1306.36 | 984.64 | 2245.90 |
| 3 | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड | ऊर्जा | 19.05.2003 | 2886.54 | 0.00 | 0.00 | 2886.54 | 64.10 | 130.97 | 1576.61 | 1771.68 | 2950.64 | 4658.22 |
| 4 | उत्तर छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन लिमिटेड | ऊर्जा | 13.03.2018 | 0.00 | 0.00 | 200 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 | 2.63 | 0.00 | 202.63 |
| कृषि एवं संबद्ध | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड | वन | 22.05.2001 | 25.73 | 0.92 | 0.00 | 26.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.73 | 26.65 |
| 6 | छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड | कृषि | 08.10.2004 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 19.40 | 19.40 | 0.50 | 19.90 |
| सेवाएं | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड | वाणिज्यिक कर | 29.11.2001 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 |

| क्र. सं. | क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | वर्ष की समाप्ति पर पूँजी ^१ | | | | वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण | | | | ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी | ऋण सहित कुल पूँजी |
|-----------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------|--------|---------------------------|-------------------|
| | | | | जीओसीजी | जीओआई | अन्य ^२ | कुल | जीओसीजी | जीओआई | अन्य ^२ | कुल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | 7 | 8 |
| 8 | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 13.03.2001 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.43 | 4.43 |
| 9 | छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड | स्वास्थ्य | 07.10.2010 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.45 | 3.45 |
| 10 | छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग निगम लिमिटेड | गृह | 14.12.2011 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 558.27 | 558.27 | 2.00 | 560.27 |
| 11 | छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम | खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण | 02.05.2002 | 2.02 | 0.00 | 2.02 | 4.04 | 88.99 | 0.00 | 0.00 | 88.99 | 91.01 | 93.03 |
| 12 | छत्तीसगढ़ रेलवे निगम लिमिटेड | वाणिज्य एवं उद्योग | 07.12.2016 | 37.22 | 34.30 | 0.00 | 71.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.22 | 71.52 |
| 13 | छत्तीसगढ़ कटघोरा डोंगरगढ़ रेलवे लिमिटेड | वाणिज्य एवं उद्योग | 29.05.2018 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 14 | छत्तीसगढ़ खरसिया नया रायपुर रेलवे लिमिटेड | वाणिज्य एवं उद्योग | 29.05.2018 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 15 | छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड | वाणिज्यिक कर | 27.02.2017 | 0.0007 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 0.00 | 0.00 | 189.00 | 189.00 | 189.00 |
| अधोसंरचना | | | | | | | | | | | | | |

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

| क्र. सं. | क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [§] | | | | वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण | | | | ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी | ऋण सहित कुल पूँजी |
|----------|---|--|-----------------------|---------------------------------------|-------|-------------------|-------|---------------------------------------|-------|-------------------|---------|---------------------------|-------------------|
| | | | | जीओसीजी | जीओआई | अन्य [§] | कुल | जीओसीजी | जीओआई | अन्य [§] | कुल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | 7 | 8 |
| 16 | छत्तीसगढ़ सड़क एवं अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड | पीडब्ल्यूडी / शहरी प्रशासन व विकास विभाग | 11.11.2014 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 1598.68 | 1598.68 | 4.90 | 1603.58 |
| 17 | नवा रायपुर अटल नगर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड | शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग | 16.10.2017 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 18 | बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग | 19.09.2016 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| 19 | छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम लिमिटेड | वाणिज्य एवं उद्योग | 26.02.2001 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | 4.20 |
| 20 | छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड | वाणिज्य एवं उद्योग | 16.11.1981 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.60 |
| 21 | छत्तीसगढ़ राज्य इनफॉर्मेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी | 12.12.2017 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| 22 | छत्तीसगढ़ ग्रामीण गृहनिर्माण निगम लिमिटेड | पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग | 15.03.2018 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 1597.47 | 1597.47 | 0.10 | 1597.57 |
| 23 | रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड | शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग | 16.09.2016 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 |
| वित्त | | | | | | | | | | | | | |

| क्र. सं. | क्षेत्र एवं पीएसयू का नाम | विभाग का नाम | निगमन का माह एवं वर्ष | वर्ष की समाप्ति पर पूँजी [§] | | | | वर्ष की समाप्ति पर बकाया दीर्घावधि ऋण | | | | ऋण सहित कुल जीओसीजी पूँजी | ऋण सहित कुल पूँजी |
|-------------|---|----------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | जीओसीजी | जीओआई | अन्य [£] | कुल | जीओसीजी | जीओआई | अन्य [£] | कुल | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (क) | 5 (ख) | 5 (ग) | 5 (घ) | 6 (क) | 6 (ख) | 6 (ग) | 6 (घ) | 7 | 8 |
| 24 | छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम | समाज कल्याण | 04.07.2004 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 5.00 | 5.18 |
| अन्य | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड | भौमिकी एवं खनन | 07.06.2001 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 465.66 | 0.00 | 0.00 | 465.66 | 466.66 | 466.66 |
| 26 | केरवा कोल लिमिटेड | भौमिकी एवं खनन | 20.01.2015 | 0.00 | 0.00 | 4.90 | 4.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.90 |
| 27 | सीएमडीसी आईसीपीएल कोल लिमिटेड | भौमिकी एवं खनन | 11.04.2008 | 0.00 | 0.00 | 82.60 | 82.60 | 0.00 | 0.00 | 231.71 | 231.71 | 0.00 | 314.31 |
| 28 | छत्तीसगढ़ सोनडिहा कोल कम्पनी लिमिटेड | भौमिकी एवं खनन | 30.12.2008 | 0.00 | 0.00 | 21.94 | 21.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.94 |
| योग | | | | 6733.03 | 35.22 | 315.46 | 7083.71 | 846.06 | 130.97 | 12900.87 | 13877.90 | 7579.09 | 20961.61 |

[§] पूँजी में अंश आवेदन की बकाया राशि सम्मिलित है।

[£] वित्तीय संस्थाएँ, बैंक तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम इत्यादि सम्मिलित हैं।

परिशिष्ट 5.3

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को परिचालन गतिविधियों/अन्य आय से लाभ की जानकारी

(संदर्भ: कडिका 5.9.1)

| क्र. सं. | सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम |
|---|---|
| पीएसयू जिन्होंने केवल अपने संचालन से लाभ अर्जित किया | |
| 1 | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड |
| 2 | छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी लिमिटेड |
| 3 | छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारगृह निगम |
| 4 | छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड |
| 5 | छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड |
| 6 | छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड |
| 7 | छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस निगम लिमिटेड |
| 8 | छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस निगम लिमिटेड |
| 9 | छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड |
| पीएसयू जिन्होंने केवल अन्य/असाधारण आय से लाभ अर्जित किया | |
| 1 | केरवा कोल लिमिटेड |